

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ (छ.ग.)

☎ 07762-224426 (O), 07762-222178 (R), 07762-226047 (F) E-mail: dfo-raigarh.cg@gov.in

क्रमांक/तक.अधि./ 4523 /2017/रायगढ़, दिनांक - //107/2017
प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
छ.ग. ईस्ट रेल्वे लिमि.
द्वितीय तल सी.एस.आई.डी.सी.
कमर्शियल काम्प्लेक्स, महादेव घाट रोड
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- **Division of 26.520 ha. of Forest Land in favour of Chhattisgarh East Railway Limited Construction of 38 (10+28) KM Railway Line from Kharsiya to Gurda and Gharghoda to Gare0-Pelma Under East Rail Corridor in the State of Chhattisgarh.**
संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर का पत्र क्रमांक/FC-II/CH-47/2016-NGP/1972 दिनांक 27.06.2017 एवं कार्या. ज्ञा.क्र./तक.अधि./4462 दिनांक 07.07.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमण्डल अंतर्गत 0 से 10 एवं 0 से 28 कि.मी. रेल कॉरिडोर के स्परलाईन (खरसियां से गुरदा (खरसिया से गुरदा एवं घरघोड़ा से गारे पेलमा) हेतु प्रभावित कुल 26.520 हे. वन एवं राजस्व वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल कारीडोर लिमिटेड को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र. xx के पालन में भू-जल संरक्षण कार्य हेतु राशि रुपये 61,28,700/- (इकसठ लाख अठाईस हजार सात सौ) मात्र का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक अधोहस्ताक्षरकर्ता के नाम तैयार कर जमा करें।

वनमण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़

पृ. क्रमांक/तक.अधि./ 4526 /2017/रायगढ़, दिनांक - //107/2017
प्रतिलिपि :-

मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़

for n/a please after Iron's recommendation,

Spears

11/7/17